तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा याकुब खां बनाम मांगु बागरिया किस्म – वाद नं० – 122/2013	
	रहने के कथन रखते हुए न्यायालय द्वारा आदेश देवें। आदेश हाजिर में खारिज किये गए वाद पत्र क्र. 122/13 को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत निवेदन किया। मैंने पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन व मनन किया। चूंकि मौजूदा वाद पत्र प्रारम्भिक स्टेज तलबी हेतु विचाराधीन है ऐसी स्थिति में न्यायालय के न्यायिक हित में वाद पत्र पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O-9 R-9 CPC स्वीकार किया जाकर मौजूदा वाद पत्र सं 122/13 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है। पत्रावली पूर्व सुनवाई दिनांक 8/02/17 को पेश हो।	
8-2-17	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे में पधारे हैं/अन्य राजकार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 16-3-17 को पेश हो। आज्ञा से रीडर सब डिविजन ऑफिसर, बनेड़ा	
16-3-17	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेश दिनांक 21.12.16 अनुसार दिनांक 30/5/17 को पेश हो।	

15-5-17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम सरदारनगर में पेश हुई। वादी की ओर से उनके अधिवक्ता केम्प में मौजूद। पत्रावली का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। वादपत्र में संलग्न प्रथम तामील रिपोर्ट में विपक्षी सं० 1 का वाद प्रस्तुतिकरण से तीन माह पूर्व ही मौत होना वर्णित है यानि कि वादी द्वारा मृतक पक्षकार के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत कराया है इसके अतिरिक्त वादपत्र से संलग्न राजस्व जमाबन्दी सवंत 2069-72 के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी द्वारा गोकल पिता ओंकार बागरिया को वादपत्र में पक्षकार नही बनाया है जो कि एक आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में विधिवत जमाबन्दी अनुरूप पक्षकारान नही बनाये जाने व मृतक पक्षकार के विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने के कारण वादपत्र न्यायिक दृष्टीकोण से चलने योग्य प्रतीत नही होता है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 RT Act मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है पत्रावली नम्बर दो कम की जाकर फैसल शुमार हो।